न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर

पीठासीन अधिकारीः एल0एन0मंत्री, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या – 101/2021 अपील/चित्तौड़गढ़ (GCMS 2021/113)

पंजीयन दिनांक– 25.02.2021

निर्णय दिनांक– 22.04.2021

1. उमर फारूख गौरी पिता गुलाम हुसैन गौरी मुसलमान, निवासी किदवई नगर, नगर पालिका कॉलोनी, चित्तौड़गढ़, तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।
2. मोहसीन खां पिता मोहम्मद जफर खां मुसलमान, निवासी कुंभानगर, चित्तौड़गढ़, तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।

–अपीलांट्स

बनाम

1. रसीद खां पिता नसीर खां मुसलमान (मृतक)
2. हमीद खां पिता नसीर खां मुसलमान, निवासी हसमत कॉलोनी, देहलीगेट, चित्तौड़गढ़, तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।
3. आयुक्त, नगरपरिषद, चित्तौड़गढ़, तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।

–रेस्पोडेंट्स

उपस्थिति (वक्त बहस)

1. श्री जगदीश टांक –अधिवक्ता अपीलांट्स
2. श्री सैयद दौलत –अधि. रेस्पो. सं. 2 **(वक्त बहस अनुपस्थित)**
3. श्री प्रमोद कुमार दाणी –अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 3

अपील अन्तर्गत धारा– 90ए भू–राजस्व अधिनियम 1956, विरूद्ध आयुक्त, नगर परिषद, चित्तौड़गढ़ के प्रकरण संख्या 3057/2015 दिनांक 17.06.2015 में प्रस्तुत अपीलाण्ट के आवेदन अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4 जाब्ता दीवानी दिनांक 28.01.2019

निर्णय

दिनांक 22.04.2021

अपीलांट द्वारा यह अपील अंतर्गत धारा 90ए राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय आयुक्त, नगर परिषद, चित्तौड़गढ़ के प्रकरण संख्या 3057/2015 निर्णय दिनांक 17.06.2015

के विरूद्ध दिनांक 16.10.2018 को मय प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम एवं प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 96 जाप्ता दीवानी के साथ न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर को पेश की गई। न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर के आदेश क्रमांक 449–50 दिनांक 28.01.2021 के क्रम में जिला चित्तौड़गढ़ का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय में स्थानांतरित किया जाने से न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर से स्थानांतरित होकर दिनांक 25.02.2021 को दर्ज की गई।

इस प्रकरण के संक्षेप में बकौल अपीलांट तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 के खातेदारी की कृषि भूमि राजस्व ग्राम चित्तौड़गढ़ में नवीन बंदोबस्ती आराजी नम्बर 1301, 1303 मी एवं 1307 कुल रकबा 0.97 हैक्टेयर कुल क्षेत्रफल 31259.38 वर्गफीट राजस्व रेकार्ड में दर्ज रही है। जिसका उल्लेख नकल जमाबंदी में किया हुआ मौजूद है। रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 ने अपने आवेदन पत्र दिनांक 12.03.2013 में दस्तावेज साक्ष्य व अन्य आवश्यक प्रपत्र संलग्न करते हुए अपने खातेदारी की उक्त तीनों की कृषि आराजीयात के क्षेत्रफल 0.97 हैक्टैयर में से 3473.26 वर्गगज यानी कुलिया 2905 वर्ग मीटर भू–भाग का नक्शा दिगर्शित करते हुए आवासीय पट्टा जारी करने हेतु निवेदन किया गया, जिस पर नगर परिषद, चित्तौड़गढ़ रेस्पोडेंट संख्या 3 ने उक्त तीनों ही आराजीयात का क्षेत्रफल नगर परिषद के हक में समर्पित करना दर्शाते हुए तहसीलदार, चित्तौड़गढ़ से नामांतरकरण संख्या 2334 दिनांक 14.03.2014 से स्वीकृति प्राप्त करते ही पट्टा संख्या 3057/2015 दिनांक 17.06.2015 के जरिये रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 के संयुक्त नाम से भू–रूपांतरण हेतु संपरिवर्तन आदेशिका का पंजीकरण भी उप पंजीयक, चित्तौड़गढ़ के कार्यालय से पूर्ण करा दिया गया। जिससे असंतुष्ट होकर एवं व्यथित एवं आवश्यक हितबद्व पक्षकार होने से अपीलांट्स द्वारा यह अपील पेश की गई।

उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील पेश की गई है।

यह अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री जगदीश टांक उपस्थित व रेस्पोडेंट संख्या 3 की ओर से अधिवक्ता श्री प्रमोद कुमार दाणी उपस्थित। रेस्पोडेंट संख्या 2 की और से अधिवक्ता श्री सैयद दौलत द्वारा दिनांक 28.01.2019 को उपस्थित होकर वकालत पत्र पेश किया गया, परन्तु बवक्त बहस अनुपस्थित।

प्रकरण में अपीलाण्ट द्वारा दिनांक 28.01.2019 को एक आवेदन अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4 जाप्ता दीवानी का पेश कर निवेदन किया कि अपीलाण्ट प्रार्थी दिनांक 26.01.2019 को अपने एक सामाजिक आयोजन में गया तो वहां पता चला कि रेस्पोंडेण्ट संख्या 1 रसीद खां की मृत्यु तो अगस्त, 2017 में ही हो गयी है अतएवं अब वारीसान की जानकारी कर आवेदन की कलम संख्या 2 अनुसार कायम मुकाम का आवेदन मय शपथ–पत्र व दफा 5 जा.दी. के आवेदन के साथ प्रस्तुत किया जा रहा है। आवेदन के साथ शपथ–पत्र व दफा 5 जा.दी. का प्रार्थना–पत्र भी पेश किया।

उपरोक्त आवेदन पर उभय पक्षों की बहस दिनांक 26.03.2021 को सुनी गयी। दौराने बहस रेस्पोंडेण्ट संख्या 2 के अधिवक्ता अनुपस्थित थे। अपीलाण्ट व रेस्पोंडेण्ट संख्या 3 की बहस सुनी गयी। अपीलाण्ट द्वारा अपने आवेदन में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए ही कायम मुकाम को रेकर्ड पर लिये जाने की प्रार्थना की । इसके विपरीत वकील रेस्पोंडेण्ट द्वारा कथन किया गया कि यह अपील दिनांक 11.10.2018 को प्रस्तुत की गयी है जबकि बकौल अपीलाण्ट रेस्पोंडेण्ट संख्या 1 की मृत्यु अगस्त, 2017 में होना ही स्वीकृत

स्थिति है, अर्थात अपील मरे हुए व्यक्ति के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है, अतएवं मरे हुए व्यक्ति के विरूद्ध प्रस्तुत अपील शून्य (NULL) होने से अपील खारिज की जावें।

हमारे द्वारा उक्त आवेदन पर उभय पक्ष के लिखित एवं मौखिक कथनों/बहस पर विचार किया गया तो यह पाया कि बकौल अपीलाण्ट ही उसके द्वारा दिनांक 11.10.2018 को प्रस्तुत की है तथा उसके द्वारा आदेश 22 नियम 4 जाब्ता दीवानी के आवेदन में स्वयं ही यह वर्णित किया है कि रेस्पोंडेण्ट संख्या 1 की मृत्यु अगस्त 2017 में हो गयी थी। इससे यह स्वतः स्पष्ट है कि अपीलाण्ट द्वारा मृत रेस्पोंडेण्ट के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गयी है। विधि का सुस्पष्ट सिद्धान्त है कि आदेश 22 से संबंधित प्रावधानों के दौरान विधिक कार्यवाही के दौरान किसी की मृत्यु होने पर कायम मुकाम को रेकर्ड पर लेने हेतु आवेदन प्रस्तुत किये जाने से संबंधित है परन्तु अपील के प्रस्तुतीकरण के समय ही यदि अपील किसी मृतक पक्षकार के विरूद्ध प्रस्तुत की जाती है तो ऐसी अपील प्रथम दृष्टया ही **Null** अर्थात् शून्य होती है। अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील मृत व्यक्ति के विरूद्ध पेश किये जाने के कारण अपील विधि विरूद्ध एवं शून्य होने से खारिज की जाती है।

एल.एन.मंत्री
अति.संभागीय आयुक्त
उदयपुर

मिसल शुमार फैसल हो, निर्णय सुनाया गया।

एल.एन.मंत्री
अति.संभागीय आयुक्त
उदयपुर